

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला बड़वानी (म.प्र.)

क्रमांक/ 5216 /जनजातीय/निर्माण/2026-27

बड़वानी, दिनांक 11 /05/2026

// द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना क्रमांक-02/2026-27 //

मध्यप्रदेश के राज्यपाल की ओर से बड़वानी जिले में जनजातीय कार्य विभाग अंतर्गत संचालित सीएम राईज/छात्रावास/आश्रम शालाओं में नवीन भवन निर्माण कार्य हेतु ऑनलाईन निविदाएँ लोक निर्माण विभाग की केन्द्रीयकृत प्रणाली में समतुल्य/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से कार्य हेतु प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल द्वारा भवन निर्माण कार्य एवं विद्युत कार्य हेतु जारी एस.ओ.आर. दिनांक 01.01.2024 अनुसूची (निविदा सूचना जारी होने तक किये गये संशोधनों सहित) के आधार पर सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला- बड़वानी के कार्यालय में निर्धारित निविदा समय सारणी (Key Dates) अनुसार आमंत्रित की जाती है।

क्र.	टेण्डर नम्बर	विकास खण्ड का नाम	कार्य का विवरण	अनुमानित लागत (लाख में)	प्रतिभूति की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	ठेकेदार की श्रेणी	कार्य पूर्ण किये जाने की समयावधि
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2026_ TAD_ 502709	बड़वानी	शा. जनजातीय बालक जूनियर छात्रावास तलवाड़ा बुजूर्ग का नवीन भवन निर्माण मय विद्युतीकरण सहित	338.12	338120/-	15000/-	लो.नि.वि. केन्द्रीयकृत प्रणाली अंतर्गत	18माह वर्षाकाल सहित
2	2026_ TAD_ 502710	संधवा	शा. जनजातीय कन्या आश्रम चाचरियापाटी का नवीन भवन निर्माण मय विद्युतीकरण सहित	234.14	234140/-	15000/-	लो.नि.वि. केन्द्रीयकृत प्रणाली अंतर्गत	18माह वर्षाकाल सहित

ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय करने की अंतिम तिथि 04/06/2026 को साय: 5.00बजे नियत की गई है।

सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी

पृ.क्रमांक/ 5217 /जनजातीय/निर्माण/2026-27


बड़वानी, दिनांक 11 /05/2026

प्रतिलिपि-

- 1/ आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- 2/ कलेक्टर, जिला बड़वानी।
- 3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी।
- 4/ संभागीय उपायुक्त, ज0का0वि0 तथा अनु0जा0वि0 इन्दौर संभाग इन्दौर।



- 5/ कार्यपालन यंत्री, कार्या.- आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- 6/ कार्यपालन यंत्री, कार्या.- संभागीय उपायुक्त, ज०का०वि० तथा अनु०जा०वि० इन्दौर संभाग इन्दौर।
- 7/ सहायक यंत्री, कार्यालय- जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी।
- 8/ उपयंत्री, कार्यालय- जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी

कार्यालय कलेक्टर (जनजातीय कार्य विभाग) जिला बड़वानी (म.प्र.)

// अभिलेख एवं शर्तें निम्नानुसार है //

- * निविदा प्रारूप (Appendix 2.10) की समस्त शर्तें एवं नियमानुसार वित्तीय एवं तकनीकी बिड केपेसीटी लागू होगी।

Key Dates :-

S.N.	Particulars	Date & Times
1	Purchase of Tender Start Date	18/05/2026 & 11.00AM
2	Bid Submission Start Date	18/05/2026 & 11.00AM
3	Bid & Document Submission End Date	04/06/2026 & 5.00PM
4	Bid And Document Open Date	05/06/2026 & 5.00PM

ऑनलाईन निविदा की शर्तें :-

- 1/ उपरोक्त कार्य विशिष्ट श्रेणी का होने के कारण शासन द्वारा निर्धारित ड्राईंग में परिवर्तन किया जाता है, स्पेसिफिकेशन में परिवर्तन या अन्य किसी कार्य का समावेश किया जाता है तो सफल निविदाकार को स्वीकृत निविदा दर पर कार्य पूर्ण किया जाना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
- 2/ समस्त निविदाकारों को सलाह दी जाती है कि वे अंतिम दिवस की प्रतिक्षा न करें। शीघ्रातिशीघ्र बिड जमा करें। वेबसाईट में किसी भी प्रकार की असुविधा के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं रहेगा।
- 3/ वित्तीय प्रस्ताव किसी भी स्थिति में ऑफलाईन (हार्डकॉपी) में मान्य नहीं होगा। नियमानुसार वित्तीय एवं समान कार्य की तकनीकीय बिड केपेसीटी लागू होगी।
- 4/ ठेकेदार द्वारा किये गये कार्य की ग्यारण्टी तीन वर्ष की होगी एवं तीन वर्षों तक कार्य में किसी भी प्रकार की कमी आने पर ठेकेदारा द्वारा अपने व्यय पर सुधार करना होगा।
- 5/ ठेकेदार को लो.नि.वि. में सिविल कार्य हेतु नवीन केन्द्रीयकृत पध्दति में जीवित पंजीयन प्रमाण-पत्र होना अनिवार्य है।
- 6/ कार्य की परफारमेंस, अतिरिक्त परफारमेंस एवं सुरक्षा निधि की राशि कार्य पूर्ण होने के बाद नियमानुसार वापस की जावेंगी।

7/ निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन बिड जमा करते समय निम्न दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फाईल में अपलोड करना अनिवार्य है :-

- ऑनलाईन निविदा प्रपत्र क्रय/भुगतान एवं अमानत राशि (ईएमडी) ऑनलाईन भुगतान की रसीद, केन्द्रीयकृत पध्दति में लोक निर्माण विभाग का पंजीयन प्रमाण-पत्र, पेन कार्ड, जीएसटी पंजीयन, जीएसटी रिटर्न वर्ष 2024-25, एनेक्जर -बी अनिवार्यतः (स्टॉम्प 200/-) के अनुसार शपथ पत्र (Affadavit) नोटरी (राशि रु. 50/- या अधिक के स्टॉम्प टिकट पर) सहित, ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन, कर्मचारी भविष्य निधि का पंजीयन (ईपीएफ नम्बर) की छायाप्रति तथा टेण्डर फार्म के तकनीकी बिड डाक्यूमेंट Annexure-I (1-1 To 1-5), तकनीकी बिड (Technical Praposal) के अनुसार आयकर विवरणी वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22, 2022-23, 2023-24 एवं 2024-25 विगत 05वर्षों का वार्षिक टर्नओवर (सीए द्वारा प्रमाणित सर्टिफिकेट), कार्य अनुभव प्रमाण-पत्र, बिड केपीसिटी, तकनीकी कर्मचारियों की जानकारी एवं सहमति पत्र, मशीनरी की जानकारी वर्क इन हेण्ड, ई.पी.एफ. रजिस्ट्रेशन, ई.पी.एफ. के माह- जनवरी-2026, फरवरी-2026 एवं मार्च-2026 के चालान एवं ई.एस.आई.सी. का जीवित पंजीयन, निविदाकार को अन्य विभाग में ब्लेक लिस्टेड नहीं होने का प्रमाण-पत्र (स्टॉम्प 100/-) के अनुसार शपथ पत्र (Affadavit) नोटरी (राशि रु. 50/- या अधिक के स्टॉम्प टिकट पर) सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य है आदि अपलोड किया जाना अनिवार्य है।

- निविदा आवेदन के साथ शेड्यूल बैंक की निर्धारित राशि की सालवेंशी (12माह से अधिक पुरानी न हो) सिविल कार्य के लिए 25.00लाख की बैंक सालवेंशी प्रस्तुत करना आवश्यक होगी।

8/ निविदा के साथ निविदाकार को ऑनलाईन आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किये जाना अनिवार्य है। किसी भी स्थिति में ऑफलाईन दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे।

9/ निर्धारित तिथि में या निर्धारित तिथि के पश्चात् कार्यालय में या कार्यालय के ई-मेल पर प्रेषित ऑफलाईन दस्तावेज मान्य नहीं किये जावेंगे।

10/ कार्य का मूल्यांकन एवं निरीक्षण प्राक्कलन के अनुरूप विभागीय तकनीकी अमले द्वारा किया जावेंगा, कार्य की प्रगति के अनुसार प्रस्तुत चलित देयकों के अनुसार भुगतान किया जावेंगा जिसमें नियमानुसार आयकर की राशि, जीएसटी कर, श्रम कर, रॉयल्टी एवं सुरक्षा निधि की राशि की कटौती की जावेंगी।



- 11/ प्रत्येक कार्य मे से 2प्रतिशत जीएसटी, 2प्रतिशत आयकर, 1प्रतिशत श्रम उपकर, 5प्रतिशत सुरक्षा निधि नियमानुसार रॉयल्टी इत्यादि कटौती की जावेंगी साथ ही स्लेब कास्ट का 20प्रतिशत पृथक से सुरक्षा निधि के रूप मे कटौती किया जावेंगा। इसके अतिरिक्त शासन द्वारा अधिरोपित किये गये अन्य कोई कर यदि होंगे तो देयक से काटा जावेंगा।
- 12/ कार्य मे लगने वाली निर्माण सामग्री की तकनीकी रिपोर्ट (टेस्ट रिपोर्ट) लोक निर्माण/पॉलिटेक्निक/इंजीनियरिंग अन्य माध्यम संस्था से ठेकेदारों द्वारा प्राप्त कर कार्यालय मे प्रस्तुत करने पर ही देयकों का भुगतान किया जावेंगा।
- 13/ सशर्त निविदायें अमान्य की जावेंगी।
- 14/ ठेकेदारों का टेस्टेड स्टील एवं सीमेंट का उपयोग निर्माण कार्य मे करना होगा तथा ठेकेदार को सीमेंट, लोह, गिट्टी, रेत, ईट एवं कांक्रीट आदि के नियमानुसार टेस्ट रिपोर्ट कार्यालय मे प्रस्तुत करना होगा।
- 15/ कार्य संबंधी विवरण एवं निविदा की शर्तें आदि वेबसाईट <https://www.mptender.gov.in> पर एवं सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग जिला बड़वानी कार्यालय मे देखी जा सकती है।
- 16/ निविदा मे संशोधन की स्थिति मे संशोधन ऑनलाईन देखा जा सकता है।
- 17/ किसी भी निविदा/समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को सुरक्षित रहेगा। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में जिला न्यायालय बड़वानी रहेगा।
- 18/ निर्माण कार्यों पर कार्यरत् श्रमिकों का पंजीयन नियमानुसार श्रम विभाग से कराये जाने एवं श्रमिकों को नियमित भुगतान किये जाने एवं कार्य के दौरान किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है तो इसकी समस्त जवाबदारी संबंधित ठेकेदार की होगी।
- 19/ निर्माण कार्य की सामग्री की रॉयल्टी ठेकेदार को स्वयं भुगतान करनी होगी, एवं रॉयल्टी चूकता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा प्रचलित नियमानुसार देयक पर कटोत्रा किया जावेंगा।

- 20/ प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण विभाग भोपाल के आदेशानुसार निर्माण कार्यो मे फलाई ऐश ब्रिक्स का उपयोग नियमानुसार किया जावेगा।
- 21/ निर्माण कार्यो पर देख-रेख हेतु ठेकेदार को नियमानुसार स्नातक सिविल इंजीनियर कार्य स्थल पर रखना अनिवार्य होगा। अनुबंध के पूर्व साईट इंजीनियर के अनुबंध की कॉपी जमा करानी होगी।
- 22/ भवन मे विद्युत कार्य हेतु विद्युत लायसेंसधारी (अ) श्रेणी से अनुबंध कर अनुबंध के समय कॉपी जमा करानी होगी।
- 23/ निविदा स्वीकृति उपरांत सफल निविदाकार को समयावधि मे अनुबंध के समय नियमानुसार Performance Guarantee राशि/Additional Performance Guarantee राशि की एफ.डी.आर. मध्य-प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग के ज्ञाप क्रमांक/एफ 53/02/2011/यो./19/524 भोपाल, दिनांक 14.02.2025 अनुसार Additional Performance Guarantee की सिर्फ एफ.डी.आर. ही मान्य की जावेगी एवं स्टाम्प शुल्क के साथ अनुबंध करना होगा अन्यथा नियमानुसार निविदा निरस्त कर धरोहर राशि राजसात की जावेगी।
- 24/ निर्माण कार्यो के देयकों से शासन अनुसार निर्धारित कटोत्रा किया जावेगा।
- 25/ निविदा प्रक्रिया के किसी भी चरण मे किसी भी निविदाकार को किसी भी विभाग के ब्लेक लिस्टेड होने एवं अन्य जानकारी असत्य पाई जाने पर आवेदित निविदा निरस्त की जा सकेगी।
- 26/ ठेकेदार को प्रत्येक बिल भुगतान के पूर्व कार्य स्थल के फोटोग्राफ्स एवं आवश्यकतानुसार सामग्री परीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

सहायक आयुक्त

जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी

बड़वानी, दिनांक /05/2026


पृ.क्रमांक/
प्रतिलिपि-

/जनजातीय/निर्माण/2026-27

- 1/ आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- 2/ कलेक्टर, जिला बड़वानी।
- 3/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत बड़वानी।
- 4/ संभागीय उपायुक्त, ज0का0वि0 तथा अनु0जा0वि0 इन्दौर संभाग इन्दौर।



- 5/ कार्यपालन यंत्री, कार्या.- आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग म.प्र. भोपाल।
- 6/ कार्यपालन यंत्री, कार्या.- संभागीय उपायुक्त, ज०का०वि० तथा अनु०जा०वि० इन्दौर संभाग इन्दौर।
- 7/ सहायक यंत्री, कार्यालय- जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी।
- 8/ उपयंत्री, कार्यालय- जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी।


सहायक आयुक्त
जनजातीय कार्य विभाग बड़वानी